न्यायालयः—अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारीः—दीनानाथ वब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या—113/2023 दायरा दिनांकः 16.10.2023 GCMS CASE NO- 2023/113

जोगेन्द्र सिंह पुत्र लाधूसिंह जाति दरोगा निवासी कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
—प्रार्थी

बनाम

1. दाना पुत्र बेगा जाति मेघवाल साकिन कानौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़

——अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) भू—राजस्व अधिनियम 1970 एवं कृषि प्रयोजनाथ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थितः—

1. श्री राजवीर भादू, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री रामनारायण जालप अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांकः—13.10.2025

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना—पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 01 दाना पुत्र बेगा को रोही कानौर तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 105/3 में 4.832 अर्थात 19.02 बीघा बारानी भूमि सन 1983 संवत 2040 में आवंटन हुई थी। उक्त रकबा उपनिपवेशन से बाहर होकर डी कॉलोनी हो चुका है। रकवा पर कभी भी अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 महज पेपर आवंटी है। अप्रार्थी संख्या 01 ने रकबा उपनिवेशन क्षेत्र से बाहर होने अर्थात डी कॉलोनी होने पर खातेदारी अधिकार हेतु आवेदन किया जिसमें पटवारी हल्का रिपोर्ट दिनांक 20.9.2008 को उक्त रकबा नही है तथा अप्रार्थी संख्या 01 का कब्जा काश्त खसरा न. 15/5 वन विभाग की भूमि पर बताया है। उक्त भूमि की खातेदारी लेने बाबत दिनांक 28.02.2020 को भू—माफिया लोगो ने दानाराम के हस्ताक्षर कर तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सूरतगढ़ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का को प्रेषित करते हुए रिपोर्ट मांगी कि आवेदन पत्र अनुसार आवेदक खसरा न. की मौका जांच कर जीएफसी, चकबंदी, गजट, वन प्रभावित व नक्शे में तरमीम व आज दिनांक तक खातेदारी अधिकार नही देने का कारण लिखते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। उक्त प्रार्थना—पत्र दिनांक 28—02—2020 पर किसी भी प्रकार से तत्कालिन पटवारी हल्का ने खातेदारी अधिकार न देने के कारणो की रिपोर्ट नही की गई। इसके पश्चात भूमाफियो लोगो ने अप्रार्थी नं० 1 के नाम रकबा की राजस्व कर्मियों मिली भगत कर उक्त तथ्य की रिपोर्ट न करवा कर दिनांक 21—06—2022 बिना जांच करवाये खातेदारी अधिकार की रिपोर्ट करवाई गई जिस पर दिनांक 10—04—2023 को एल आर टी सी की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार राजस्व सूरतगढ द्वारा उसी दिन दिनांक 10—04—2023 को खातेदारी अधिकार जारी कर दिये गये। अप्रार्थी न० 1 के नाम पेपर आवटित रकबा रोही कानौर तहसील सूरतगढ के खसरा न० 105/3 में 4.832 अर्थात 19—02बीघा बारानी भूमि टी सी को वर्ष 2007 में पुख्ता आवंटन करवाने हेतू आंवटन अधिकारी एव उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के सरकारी भूमि के आंवटन के लिए आवेदन पत्र मय शपथ—पत्र पेश किया गया अप्रार्थी नं० 1 को उक्त रकबा नाबालिग आंवटन हुआ है जो आवटन प्रावधानो के मुताबिक नाबालिग को आवंटन नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी नं० 1 ने मिथ्या कथनो के आधार पर आवंटन प्राधिकारी को धोखे में रख कर नाबालिग अवस्था में टी सी आंवटन करवाया गया। इस पर पुख्ता आवटन के वक्त उक्त रकबा का आवटन नहीं किया गया। इसलिए अप्रार्थी नं० 1 का आवटन आवटन प्रावधानो के विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं० 1 ने अपने नाम टी सी आवंटन रकबा की खातेदारी प्राप्त करने [illegible] तहसीलदार सूरतगढ को दिनांक 24—12—2020 को प्रार्थना—पत्र एवं दिनांक 13—12—2022 [illegible] अप्रार्थी नं० 1 के नाम मार्फत में स्टाम्प उदयसिंह के द्वारा लिया गया जिस पर तथाकथित [illegible]राम लिखकर शपथ—पत्र पेश किया गया। उक्त प्रार्थना—पत्र को दो वर्ष बाद [illegible] तहसीलदार सूरतगढ द्वारा अप्रार्थी के [illegible]पत्र को आधार खातेदारी अधिकार जारी कर दिये गये, [illegible] प्रतीत होता है कि अप्रार्थी [illegible] के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:24:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

नाम भूमाफिया लोगो ने सरकारी मशिनरी से मिली भगत कर एक ही दिन में अलग–2 तारीखे लगवा कर बिना कब्जा के उक्त भूमि की खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है जो निरस्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजवीर भादू उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रामनारायण जालप तथा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (13) 2006 पेज 749, आरएलडब्ल्यू 2001 (4) राज. पेज 114 की ओर ध्यान दिलाकर की ओर ध्यान निवेदन किया कि गलत तथ्य पेश कर धोखे से करवाये गये आवंटन को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जावे तथा अप्रार्थी का आवंटन निरस्त किया जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि मुझ अप्रार्थी नं० 1 के नाम सन 1983 सम्वत 2040में रोही कानौर तहसील सूरतगढ़ के खसरा न० 105/3 में 4.832 अर्थात 19–02 बीघा बारानी अस्थाई आंवटन भूमि हुई थी। परन्तु तत्कालिन पटवारी हल्का द्वारा कब्जा कास्त रोही कानौर के खसरा नं0 16/5 में दिया गया जिस पर आंवटन से लेकर आज तक बदस्तुर कब्जा रहा है। मुझ अप्रार्थी नं० 1 के नाम आवंटित रकबा रोही कानौर के खसरा नं0 105/3 मे कभी भी नही रहा इसके स्थान पर तत्कालिन पटवारी हल्का द्वारा खसरा नं0 16/5 में कब्जा दिया गया। जिस पर मुझ अप्रार्थी नं० 1 का कब्जा रहा है। मुझ अप्रार्थी नं० 1 के नाम आवंटित रकबा के स्थान पर तत्कालिन पटवारी हल्का द्वारा दिये गये कब्जा खसरा नं0 16/5 की खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता था। जिसके लिए अप्रार्थी नं० 1 द्वारा पूर्व में भी कार्यवाही की गई। इसलिए अप्रार्थी नं० 1 के आवंटन से लेकर आज तक कब्जा कास्त रोही कानौर के खसरा नं0 16/5 की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। अप्रार्थी न० 1 के द्वारा पूर्व में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर मुझे आवंटित रकबा व कब्जा कास्त रकबा में भिन्नता होने के कारण खातेदारी अधिकार नही दिये गये। जिसके लिए अप्रार्थी नं० 1 अपने आवटित रकबा व कब्जा कास्त रकबा की दुरूस्ती करवाना चाहता है। मुझ अप्रार्थी न० 1 को तत्कालिन पटवारी हल्का द्वारा कब्जा रोही कानौर के खसरा नं0 16/5 में 19–00बीघा भूमि का दिया गया परन्तु आवटन पत्रावली में खसरा नं० अन्य दर्ज है जिसके कारण अप्रार्थी नं० 1 की भूमि को पुख्ता आवंटन नही हुआ। इसलिए अप्रार्थी नं० 1 रोही कानौर के खसरा नं0 105/3 के स्थान पर 16/5 में दुरुस्त करवाना चाहता है। अतः उक्तानुसार आदेश पारित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्यन किया। प्रकरण में प्राप्त पटवारी हल्का कानौर की रिपोर्ट अनुसार दानाराम ने जैर प्रकरण भूमि का बेचान कालूराम को कर दिया है। वर्तमान में उक्त रकबा कालूराम के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। चूंकि जब मूल आवंटी द्वारा रकबा आगे बेचान कर दिया है तो वर्तमान खातेदार को प्रकरण में पक्षकार बनाना आवश्यक था। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में वर्तमान खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 01 नियम 10 (2) के अन्तर्गत बने प्रावधानो की पालना में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा हस्तगत प्रकरण की आदेशिका दिनांक 16.10.2023 द्वारा जैर प्रार्थना पत्र यथा रोही कानौर के खसरा न. 105/3 में 4.832 है0 बारानी भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत पारित स्थगन आदेश भी निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.24 17:24:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner